संख्या 1016/xiii/04-5(15)/04

प्रेषक,

डा०पी०एस०गुसाई,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

अपर निदेशक,कृषि,
उत्तरांचल,
कैम्प-देहरादून।

कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग देहरादून दिनांक 17 जुलाई 2004

विषय-ग्यारवें वित्त आयोग से संस्तुत पारंपरिक जल श्रोतों के विकास का कार्यक्रम हेतु वर्ष 2004-05 में वित्तीय स्वीकृति

महोदय,

आपके पत्र संख्या 780/लेखा/बजट/2004-05 दिनांक 11 जून 2004 के क्रम मे श्री राज्यपाल महोदय उपुर्यक्त विषयक पारम्परिक जल स्त्रोतों के विकास की योजना के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2004-05 के आय व्ययक से रूपया 21.00 लाख (इक्कीस लाख रूपये मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. बजट मैनुवल में निर्धारित प्रकिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित वाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर व्यय विवरण प्रपत्र बी०एम०-5 पर आहरण वितरण अधिकारी ठीक पूर्व माह की सूचना विभागाध्यक्ष को तथा प्रपत्र बी०एम०-13 पर 20 तारीख तक विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।

3. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों मे बजट मैनुवल,वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय एवं अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो,तो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4. धनराशि का व्यय करने से पूर्व शासन द्वारा समय- समय पर जारी मितव्ययता सम्बन्धी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय व व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष प्रत्येक माह वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जाय.

5. व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय जिनके लिए यह स्वीकृति दी जा रही है किसी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।

6. निर्माण कार्यो पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणन लोक निर्माण विभाग की दरों पर तैयार कर उस पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ साथ आगणनो पर सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय।

7. व्यय करते समय भारत सरकार के दिशा निर्देशों का भी अनुपालन किया जाय और समयान्तर्गत इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र भी भारत सरकार व राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया जाय।

8. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में अनुदान संख्या– 17 के लेखाशीर्षक– 2401–फसल कृषि कर्म –00 आयोजनागत–800–अन्य योजनाऐं –01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें– 01–ग्यारवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत पारंपरिक जल स्त्रोतों का पुनरूद्धार 25–लघुनिर्माण की मद के नामे डाला जायेगा।

9. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0 372/वित्त अनु0–2/2004 दिनांक 1–7–2004 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0पी0एस0गुसाई)
अपर सचिव

संख्या 1016(1)/xiii/04–5(15)/2004 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, गाजरा, देहरादून।
2. संयुक्त कृषि निदेशक,पौड़ी/नैनीताल.
3. समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल।
4. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी उत्तरांचल
5. आयुक्त कुमांयू मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी.
6. वित्त अनुभाग–2/नियोजन अनुभाग.
7. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल.
8. गार्ड फाइल.

आज्ञा से,

(डा0पी0एस0गुसाई)
अपर सचिव